[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 03/2021-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 फरवरी, 2021

सा.का.नि....(अ) सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 17/2020-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 200(अ) तारीख 23 मार्च, 2020 के तहत प्रकाशित की गई थी, को सिवाय ऐसी बातों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो, —

(क) भारत का नागरिक नहीं है ; या

(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या स्थापना ; या

(ग) स्थानीय प्राधिकारी ; या

(घ) कानूनी निकाय ; या

(ङ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ; या

(च) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति ।

[फाइल सं. सीबीईसी-20/06/02/2020-जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार